राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 17(1)खा.वि./विधि/08 जयपुर, दिनांक 17.03.2016

उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु दिशा-निर्देश

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उचित मूल्य दुकानों का कम्प्युटराईजेशन करने के संबंध में पारित आदेश, भारत सरकार के निर्देश एवं उचित मूल्य दुकानों में महिला समूह व सहकारी समितियों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड 3(1) के तहत उचित मूल्य दुकानों के प्राधिकार पत्र जारी किए जाने हेतु पूर्व में जारी समस्त आदेश/परिपत्र एवं दिशा-निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए नयी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु निम्नांकित दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं:

आवंटन प्रक्रिया

1. उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिये अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएँ:

(i) शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान हेतु आवेदक उसी वॉर्ड का निवासी होना चाहिए, जिस वॉर्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करनी है अर्थात् उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वार्ड्स में से किसी एक वॉर्ड का निवासी होना चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकाने के मामलों में आवेदक उसी पंचायत के किसी भी ग्राम या वॉर्ड का निवासी होना आवश्यक है, जिस पंचायत में उचित मूल्य दुकान स्थित है। एक से अधिक योग्य आवेदन पत्रों के प्राप्त होने की स्थिति में वरीयता उसी वार्ड के निवासी को दी जायेगी जिसमें उचित मूल्य की दुकान स्थित है।

उचित मूल्य दुकान हेतु सभी श्रेणी के आवेदकों की आयु 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए अर्थात उचित मूल्य दुकान के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि को आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।।

(ii) आवेदक की शैक्षणिक योग्यता स्नातक एवं कम्प्यूटर में [#3][Rajasthan Knowledge Corporation Limited (RKCL) या अन्य समकक्ष सरकारी संस्थान] का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। [#1][यदि उचित मूल्य के दुकानों के आवेदकों में कोई भी आवेदक स्नातक स्तर की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है, तो ऐसी स्थिति में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों के प्रार्थना पत्रों को भी आवंटन हेतु स्वीकार किया जा सकेगा।] यदि आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो तो आवेदन के साथ आवेदक से यह घोषणा भी लिया जावेगा, कि वह [#2][चयनित होने के 08 माह की अवधि में] ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा व ऐसे चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद ही प्राधिकार पत्र दिया जावेगा।

#1. पत्र दिनांक 06.04.2016 के बिंदु संख्या 2 के अनुसार जिले में जिन दुकानों पर स्नातक एवं अन्य उच्चतर योग्यता धारी पात्र आवेदकों ने आवेदन किया हुआ है, उनको निर्धारित प्रक्रिया अनुसार उचित मूल्य दुकान आवंटन की कार्रवाई प्रारंभ किये जाने के निर्देश दिए गए है और बिंदु संख्या तीन के अनुसार आवंटन प्रक्रिया के दौरान जिन उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु स्नातक पात्र आवेदक उपलब्ध नहीं हो उनके लिए अपने सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी की जा का सीनियर सेकेंडरी योग्यता धारी से 15 दिवस की अवधि में आवेदन प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है।

#2. संशोधन आदेश दिनांक 26.09.2017 आवेदको द्वारा आर.के.सी.एल परीक्षा का परिणाम देरी से आने के कारण नवीन चयनित उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र विभाग द्वारा निर्धारित अवधि 06 माह में प्रस्तुत नही किये जा सकने के कारण ऐसे आवेदको जिनको आर.के.सी.एल के परीक्षा परिणाम देरी से प्राप्त हुए है कि असुविधा को दृष्टिगत रखते हुए विभाग द्वारा पूर्व में जारी उपर वर्णित आदेश दिनांक 17.03.2016 के बिन्दु संख्या- 1 के (ii) में वर्णित 06 माह की अवधि से स्थान पर 08 माह में प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने हेतु अनुमति प्रदान की गयी है तथा बिन्दु संख्या- 1 के (ii) में अंकित वाक्यांश "चयनित होने के 06 माह की अवधि में के स्थान पर "चयनित होने के 08 माह की अवधि में" शब्द प्रति स्थापित किये गए है।

#3. पत्र दिनांक एफ 17 (11) खा.वि./ न्याय / जयपुर द्वितीय / 2012 दिनांक 28.09.2018 से आरएससीआईटी के समकक्ष कोर्स के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया है कि दुकान आवंटन के लिए कंप्यूटर में आरकेसीएल के समकक्ष निजी संस्था जो सरकारी संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त है, का प्रमाण पत्र मान्य किया जाना नियमानुसार नहीं है।

[#4][(iii) ~~xxxx~~]

#4. संशोधन आदेश दिनांक 14.11.2019 से वर्तमान में अन्नपूर्णा भण्डार प्रचलन में नहीं होने की स्थिति में उक्त उपबिन्दु-(iii) को विलोपित किया गया है।

(iv) उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरूष/महिला के दिनांक 01.01.2015 के बाद पैदा हुई संतान सहित दो से अधिक संतान नही होनी चाहिये। निर्धारित तिथि पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति आवेदन

का पात्र नही होगा। उचित मूल्य दुकान आवंटन होने के पश्चात भी यदि किसी उचित मूल्य दुकानदार के तीसरी संतान होती है तो ऐसे उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निरस्तनीय होगा, परन्तु किसी आवेदक के दिनांक 31.12.2014 को एक ही संतान है। तथा पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती है, तो संतानों की गणना करते समय इस प्रकार एक प्रसव से पैदा हुई संतानों को एक इकाई ही समझा जाए।

2. आवेदन पत्र आमंत्रित करनाः

(क) जिला रसद अधिकारी उचित मूल्य दुकान आवंटन हेतु रिक्तियों का निर्धारण कर, जिला कलक्टर से अनुमोदन प्राप्त कर, इन रिक्तियों का विवरण समाचार पत्रों एवं अन्य प्रचार माध्यमों में जिला जन सम्पर्क अधिकारी के मार्फत प्रेस नोट जारी कर विज्ञप्ति जारी करायेंगे।

(ख) आवेदन पत्र केवल मात्र जिला रसद कार्यालय से जारी किये जायेंगे। अन्य किसी स्थान यथा टाईपिस्ट, नोटेरी/बुक स्टोर से प्राप्त किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेंगे। एक आवेदन पत्र का मूल्य 100/- निर्धारित किया जाता है। जिला रसद कार्यालय से आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क का भारतीय पोस्टल आर्डर (IPO) जमा कराया जाकर प्राप्त किये जा सकेगे। प्रत्येक आवेदन पत्र का कमांक अंकित करते हुए आवेदक को उपलब्ध कराये गये आवेदन पत्रों का रजिस्टर संधारित किया जायेगा।

(ग) आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में होगा, जिस पर आवेदनकर्ता का रंगीन पासपोर्ट साईज छायाचित्र लगा होना चाहिए।

(घ) समस्त आवेदन पत्रों को आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर अभिशंषा करने का अधिकार आवंटन सलाहकार समिति को ही होगा। आवंटन सलाहकार समिति की अभिशंषा के अनुसार चयनित आवेदनकर्ता के आवेदन पत्र/उचित मूल्य दुकान तथा गोदाम के ब्लूप्रिन्ट के नक्शों के अनुसार मौके की जांच रिपोर्ट की जाकर आवेदन पत्रों के साथ संलग्न दस्तावेजों की सत्यता एवं उचित मूल्य दुकान के स्थान एवं गोदाम की उपयुक्तता के संबंध में संबंधित प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा स्पष्ट टिप्पणी की जायेगी।

(ड) आवेदक द्वारा निम्न बिन्दुओं को अंकित करते हुये एक घोषणा पत्र दिया जावेंगा :

(1) आवेदक पूर्व में ई.सी. एक्ट के तहत दण्ड़ित नहीं हुआ है।
(2) आवेदक द्वारा दुकान का संचालन स्वयं किया जावेगा।
(3) आवेदक के परिवार में किसी सदस्य यथा, माता-पिता, पुत्र एवं पुत्री के नाम से पूर्व में कोई दुकान नहीं हैं।
(4) आवेदक को विधिक रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
(5) आवेदक स्वयं निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं है।
(6) आवेदक बालिग एवं स्वस्थ चित हैं, चाल-चलन अच्छा है तथा कभी दिवालिया घोषित नहीं हुआ है।
(7) आवेदक द्वारा दिनांक 01.01.2015 के बाद दो से अधिक संतान नही होने का स्पष्ट कथन किया जायेगा।

(च) प्रस्तावित दुकान का नक्शा प्रवर्तन अधिकारी/ निरीक्षक द्वारा संवीक्षा के समय प्रमाणित किया जावेगा।

(छ) आवेदक द्वारा संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी न्यूनतम 1,00,000/- रूपये का हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा। महिला स्वयं सहायता समूह के लिए कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता की अभिशंषा सहित समूह की वित्तीय हैसियत न्यूनतम 25,000 रूपये होना आवश्यक होगा। [#5][समिति, जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं, को, हैसियत प्रमाण पत्र के स्थान पर समूह की वित्तीय हैसियत के सम्बन्ध में उनकी अंश पूंजी का विवरण, कार्यशील पूंजी का विवरण, वार्षिक कुल राशि का विवरण एवं विगत दो वित्तीय वर्ष व चालू वर्ष के बैंक खाते का स्टेटमेंट की प्रति मय सहायक पंजीयक/उप पंजीयक की यह अभिशंषा संलग्न करनी होगी कि समिति की वित्तीय हैसियत 1,00,000/- रूपये है और समिति की गत तीन संपरीक्षा (ओडिट रिपोर्ट) में गंभीर अनियमितता नहीं है।]

#5. संशोधन आदेश दिनांक 26.12.2019 से सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत समितियों को, हैसियत प्रमाण पत्र के स्थान पर अन्य विकल्प जोड़े गए।

(झ) आवेदक द्वारा दी गयी सूचनायें गलत पाये जाने पर आवंटन रद्द करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।

3. आवंटन सलाहकार समिति :

प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर अभिशंषा हेतु निम्न सदस्यों की तहसील स्तरीय समिति गठित होगीः

(i) **नगरीय क्षेत्रों हेतुः**

(क)	जिला रसद अधिकारी	अध्यक्ष
(ख)	नगर निगम/परिषद्/पालिका के अध्यक्ष/प्रशासक या उनके द्वारा मनोनीत बोर्ड का निर्वाचित सदस्य	सदस्य
(ग)	कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता विभाग अथवा नामांकित अधिकारी।	विशेष आमंत्रित सदस्य

(घ)	सहकारिता विभाग का जिला उप-पंजीयक अथवा सहायक पंजीयक		विशेष आमंत्रित सदस्य
(ङ)	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत उसी क्षेत्र के		
	(i) सामाजिक कार्यकर्ता	एक	सदस्य
	(ii) उपभोक्ता	एक	सदस्य
	(iii) महिला उपभोक्ता	एक	सदस्य

(ii) **ग्रामीण क्षेत्रों हेतुः**

(क)	जिला रसद अधिकारी		अध्यक्ष
(ख)	संबंधित ग्राम पंचायत का सरपंच		सदस्य
(ग)	कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता विभाग अथवा नामांकित अधिकारी।		विशेष आमंत्रित सदस्य
(घ)	सहकारिता विभाग का जिला उप-पंजीयक अथवा सहायक पंजीयक		विशेष आमंत्रित सदस्य
(ङ)	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत उसी क्षेत्र के		
	(i) सामाजिक कार्यकर्ता	एक	सदस्य
	(ii) उपभोक्ता	एक	सदस्य
	(iii) महिला उपभोक्ता	एक	सदस्य

आवंटन सलाहकार समिति के मनोनीत सदस्यों द्वारा अनियमितता बरतने पर इन्हें हटाये जाने का अधिकार राज्य सरकार को होगा।

आवंटन सलाहकार समिति के सभी सदस्यों से इस बाबत घोषणा पत्र प्राप्त किया जाये कि उचित मूल्य दुकानों के आवेदकों के साक्षात्कार की सूची में उनके परिवार का कोई सदस्य सम्मिलित नहीं है। यदि उनके परिवार का कोई सदस्य साक्षात्कार के लिए पात्र है, तो उक्त चयनकर्ता साक्षात्कार समिति की बैठक में भाग नहीं लेगा। विशेष आमंत्रित सदस्यों को आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में तभी आमंत्रित किया जावे, जबकि प्राथमिकता क्रम 4(क) (i) एवं (ii) के आवेदन प्राप्त हुए हों तथा साक्षात्कार के लिए पात्र हो।

4. चयन प्रकिया एवं प्राथमिकताः

आवंटन सलाहकार समिति प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर अपनी अभिशंषा जिला कलक्टर को प्रस्तुत करेगी। साक्षात्कार द्वारा आवेदकों के प्रार्थना पत्रों पर विचार के समय आवेदक के चयन के प्राथमिकता क्रम में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा चयन प्रक्रिया निम्नानुसार दो चरणों में पूर्ण की जावेगीः

(क) प्रथम वरीयता (संस्थागत) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम के आधार पर चयन किया जावेगाः

(i) ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्पस (वृहतर क्षेत्रीय बहुउद्देशीय सहकारी समिति)/दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति, जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं।

(ii) "महिला स्वयं सहायता समूह, जो राज्य सरकार के महिला अधिकारिता विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त है। आवेदक महिला स्वयं सहायता समूह को तीन वर्ष का [#6][कार्यानुभव] हो।

#6. संशोधन आदेश दिनांक 26.04.2016 - दिशा-निर्देश दिनांक 17.03.2016 के बिन्दु संख्या-4 के उप बिन्दु-(क) का (II) में वांछित महिला स्वयं सहायता समूह के अनुभव के आंकलन के संबंध में पूर्व में जारी समस्त निर्देशों का अतिक्रमण करते हुए अनुभव के आंकलन हेतु निम्नानुसार आधार पर तय किये गए है –

1. समूह का गठन कम से कम तीन वर्ष पूर्व का हो।

2. समूह का कम से कम तीन वर्ष पूर्व बैंक में खाता खुला हो।

3. समूह के सदस्य तीन वर्षों से आंतरिक लेन-देन में संलग्न हो।

अतः उचित मूल्य दुकान आवंटन के संबंध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(iii) ग्राम पंचायत/निगमित निकाय

नोटः- आवेदक/समितियों/समूह/निकाय में सचिव/प्रबंधक का कम्प्यूटर दक्ष एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

विशेषः- यदि विज्ञापन किये जाने के पश्चात कम संख्या (i), (ii) व (iii) के अन्तर्गत एक ही आवेदन प्राप्त होता है, तो उसको प्राधिकार पत्र जारी किया जावेगा। इस श्रेणी के दो या दो से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर ही आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया अपनायी जावेगी।

(ख) द्वितीय वरीयता व्यक्तिगत (प्रथम वरीयता में आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर)

1. बेरोजगार
   (i) [#7][निःशक्तजन]
   (ii) महिलायें
   (क) शहीद की विधवा (वीरांगना)
   (ख) विधवा
   (ग) परित्यक्ता
2. भूतपूर्व सैनिक
3. अन्य पात्र बेरोजगार

#7. आदेश दिनांक 22.07.2016 - बिन्दु 4(ख) में आवेदकों के प्राथमिकता क्रम व बिन्दु 4(ग) में बहुमत के बिन्दु पर स्पष्टीकरण निम्नानुसार है-
उचित मूल्य दुकानों की नियुक्ति में बिन्दु 4(ख) में दी गई प्राथमिकताओं की पालना किया जाना अनिवार्य है। बिन्दु 4(ग) में बहुमत से आशय प्राथमिकता क्रमानुसार बहुमत से है। अर्थात बिन्दु 4(ख) में यदि निःशक्तजन का आवेदन-पत्र है तथा वह अन्यथा पात्र है तो निःशक्तजन को ही उचित मूल्य दुकान आवंटित की जायेगी।

(ग) आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा किसी पात्र व्यक्ति/संस्था का चयन बहुमत के आधार पर किया जायेगा जिसमें जिला कलक्टर का निर्णय अन्तिम होगा। [#8][किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में जिला कलक्टर द्वारा राज्य सरकार को पत्रावली अग्रेषित की जावेगी। ऐसे प्रकरणों में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।]

#8. आदेश दिनांक – 04.07.2017 बिन्दु संख्या 4(ग) में आंशिक संशोधन कर निर्देश दिये जाते हैं कि आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों के मध्य किसी व्यक्ति/संस्था की पात्रता के बारे में मतभेद होने पर प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित नहीं किये जावें तथा ऐसे प्रकरण जिला कलक्टर द्वारा ही स्वयं के स्तर से निस्तारित किये जावें। विभागीय समसंख्यक दिशा-निर्देश दिनांक 17.03.2016 के अनुसरण में पुनः समीक्षा के पश्चात् भी निस्तारण से शेष स्थानों पर चयन हेतु पुनः प्रक्रिया प्रारम्भ की जावे।

(घ) किसी उचित मूल्य दुकान के लिए एक ही आवेदक द्वारा आवेदन किया गया है और वह अर्हताएं पूर्ण करता है, तो उसका चयन किया जावेगा।
(ड) आवंटन सलाहकार समिति की बैठक हेतु जिला रसद अधिकारी सहित तीन का कोरम पूर्ण किया जाना आवश्यक है।

5. अन्य प्रावधानः

(i) जनजाति उपयोजना के अनुसूचित क्षेत्रों की उचित मूल्य दुकानों में 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित जनजातियों एवं 5 प्रतिशत अनुसचित जातियों के स्थानीय सदस्यों के अभ्यर्थियों से भरी जावेगी। इन क्षेत्रों में शेष 50 प्रतिशत रिक्तियां अनारक्षित वर्ग से भरी जावेगी।
(ii) बारां जिले की किशनगंज एवं शाहबाद तहसील क्षेत्रों की उचित मूल्य दुकानों में से 45 प्रतिशत दुकानें स्थानीय सहरिया आदिम जाति के आवेदकों को एवं 5 प्रतिशत स्थानीय अनुसूचित जाति के आवेदकों को आवंटित की जावेगी।
(iii) वर्तमान में कार्यरत सभी प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदार एक वर्ष की अवधि में कम्पयूटर का प्रशिक्षण आवश्यक रूप से प्राप्त करेंगे और प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। प्रशिक्षण अवधि (विशेष परिस्थितियों में ही) एक वर्ष के लिये कलक्टर की अनुशंषा पर राज्य सरकार के स्तर पर बढ़ायी जा सकेगी।
(iv) द्वितीय वरीयता के अन्तर्गत चयनित उचित मूल्य दुकानदार की कार्य अवधि अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक होगी।
(v) प्रत्येक आवेदक अथवा पदाधिकारी (महिला स्वयं सहायता समूह/ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्प्स/दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के मामले में) को अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि उसके घर में कार्यशील शौचालय (functional toilet) है। उक्त प्रावधान उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिए अनिवार्य अर्हता होगी।

6. प्राधिकार पत्र जारी करनाः

(i) उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंषा का जिला कलक्टर द्वारा अनुमोदन होने के 07 दिवस की अवधि में सभी संबंधित चयनित आवेदकों को जिला रसद अधिकारी द्वारा उनके उचित मूल्य दुकानदार चयनित होने की सूचना दी जायेगी। संबंधित उचित मूल्य दुकानदार द्वारा निम्न अवधि में निर्धारित आवश्यक औपचारिकताओं का संपादन किया जायेगाः

क्र.सं.	कार्य का विवरण	निर्धारित अवधि
1.	प्रतिभूति राशि जमा कराना	चयन आदेश जारी होने की दिनांक से अधिकतम 15 दिवस
2.	उचित मूल्य दुकानदार द्वारा प्राधिकार पत्र प्राप्त करना।	प्रतिभूति राशि जमा कराने की तारीख से अधिकतम 15 दिवस
3.	उचित मूल्य दुकानदार द्वारा वितरण कार्य प्रारंभ करना	प्राधिकार प्राप्त करने की तिथि से अधिकतम एक माह

(ii) उक्त अवधि समाप्त होने के बाद अधिकतम एक माह का रियायत अवधि काल (Grace period) जिला कलक्टर द्वारा बढ़ाया जा सकेगा। रियायत काल की समाप्ति के पश्चात ऐसे प्रकरण राज्य सरकार के निर्णयार्थ प्रेषित किये जायेंगे। चयनित अभ्यार्थियों को जिला कलक्टर द्वारा फोटो युक्त प्राधिकार पत्र जारी किया जावेगा। जिसके साथ उचित मूल्य दुकानदार का परिचय पत्र भी जारी किया जायेगा।

7. [#9][मृतक डीलर के आश्रित को अनुकम्पात्मक उचित मूल्य दुकान का आवंटन –

उचित मूल्य दुकानदार की मृत्यु होने पर उसके परिवार के निम्न सदस्यों में से किसी एक को निम्न वरीयता क्रम में दुकान आवंटित कर मृतक को जारी प्राधिकार-पत्र में संशोधन किया जायेगा :

(i) मृतक की विधवा
(ii) बालिग पुत्र/ दत्तक पुत्र जो मृतक पर आश्रित हो
(iii) विधवा पुत्रवधु जो मृतक पर आश्रित हो
(iv) अविवाहित पुत्री/ दत्तक अविवाहित पुत्री/विधवा पुत्री

अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु अन्य शर्तें निम्न प्रकार है :--

(1) कार्यरत प्राधिकार पत्रधारी डीलर की 60 वर्ष की उम्र तक यदि मृत्यु हो जाती है तो 90 दिवस की अवधि में आवेदन करने पर उपरोक्त प्राथमिकता क्रम में मृतक के स्थान पर मृतक के वारिस को उचित मूल्य दुकान का आवंटन किया जायेगा।
(2) मृतक की विधवा के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होगी।
(3) मृतक की विधवा के अलावा मृतक के वारिस के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं।
(4) मृतक की विधवा के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होगी, कम्प्यूटर में दक्षता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होगा तथा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा (45 वर्ष) में छूट रहेगी परन्तु मृतक की विधवा के अलावा अन्य वारिसों को यदि दुकान आवंटित की जाती है तो उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी तथा उन्हें कम्प्यूटर योग्यता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। विधवा के अलावा अन्य वारिसों द्वारा कम्प्यूटर योग्यता का प्रमाण-पत्र छ: माह की अवधि में प्रस्तुत किया जा सकेगा।
(5) यदि उपरोक्त प्राथमिकता क्रम में मृतक का प्रथम वारिस उचित मूल्य दुकान नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हताएं पूर्ण नहीं करने पर उक्त क्रम संख्या (ii) से (iv) तक अंकित वारिसों को वरीयतानुसार निर्धारित अर्हताएं पूरी करने पर दुकान आवंटित की जा सकेगी।
(6) यदि मृतक के वारिस उपरोक्त वरीयतानुसार दुकान आवंटन नहीं कराकर बिना क्रमानुसार दुकान आवंटित करना चाहते हैं तो उपरोक्त अंकित शेष वारिसों से अनापत्ति का नियमानुसार शपथ-पत्र प्राप्त कर इस शर्त के साथ दुकान आवंटित की जा सकेगी कि अनुकम्पात्मक दुकान प्राधिकार-पत्रधारी मृतक के आश्रितों के जीवन के भरण-पोषण के दायित्व का निर्वहन करेगा।
(7) उचित मूल्य दुकानदार की मृत्यु के कारण रिक्त हुई उचित मूल्य दुकान के स्थान पर निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर यदि नई नियुक्ति की जा चुकी है तो अनुकम्पात्मक नियुक्ति के प्रावधान लागू नहीं होंगे।
(8) मृतक डीलर के वारिसों द्वारा अनुकम्पात्मक दुकान आवंटन हेतु यदि पूर्व में आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है तो यह आदेश जारी होने की दिनांक से 30 दिवस की अवधि में नियमानुसार आवेदन-पत्र प्राप्त कर अनुकम्पात्मक नियुक्ति की कार्यवाही की जावे।]

#9. संशोधन आदेश दिनांक 29.07.2019 से मृतक उचित मूल्य दुकानदार (डीलर) के आश्रित को अनुकम्पात्मक उचित मूल्य दुकान आवंटित करने हेतु विभागीय दिशा-निर्देश दिनांक 17.03.2016 के पृ.सं. 5 पर अंकित *बिन्दु* सं. 6 के अन्त में उक्त बिन्दु सं. 7 (सात) जोड़ा गया है।

उचित मूल्य दुकानों के नवसृजन के संबंध में स्पष्टीकरण – विभागीय पत्र क्रमांक एफ.17(9)खा.वि.विधि/2012 दिनांक 26.12.2019

विभागीय पत्र क्रमांक एफ.17(1)खा.वि. / विधि/2008 दिनांक 07.04.2010 के द्वारा 500 राशनकार्डों की संख्या अथवा 2000 यूनिट के आधार पर उचित मूल्य दुकान का पुनर्निधारण किया जाकर रिक्तियों का निर्धारण किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गए थे। इसी क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि नवीन दुकानों के निर्धारण में केवल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत चयनित राशन कार्डों एवं यूनिटों को ही पात्रता के मापदण्डों का आधार माना जाकर उचित मूल्य दुकानों के आवंटन की कार्यवाही की जावे।

विभागीय पत्र क्रमांक एफ.17(1)खा.वि. / विधि/2008 दिनांक 07.04.2010 के मूल बिंदु-

उचित मूल्य की दुकानों को नये सर्वे के अनुसार 500 राशन कार्डों पर नवीन दुकानों का सृजन कर रिक्त दुकानों की नियमानुसार विज्ञप्ति जारी कर कार्यवाही की जावे। यह भी उल्लेखनीय है कि यदि किसी दुकान पर 500 राशन कार्ड से कम हो तो उसकी समायोजन से पूर्ति कर निर्धारित 500 राशन कार्डो की संख्या अथवा 2000 यूनिट के आधार पर प्रत्येक दुकान का पुनर्निधारण किया जाकर रिक्तियों का निर्धारण किया जावे।

जिन दुकानों के प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय/अधीनस्थ न्यायलय/रिवीजन न्यायालय में विचाराधीन चल रहे हैं, उन दुकानों को न्यायालय के निर्णय से पूर्व रिक्त माना जाकर उन पर नई नियुक्ति की कार्यवाही नहीं की जावे, ताकि न्यायालय की अवमानना से बचा जा सके और कोई विधिक अडचन उत्पन्न नहीं हो।